कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

सी0पी0एम0टी0–2014 की प्रथम चक्र की काउसिलिंग

. काउसिंलिग के समय अर्हता सम्बन्धी सभी मूल प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र सहित) तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं सी0पी0एम0टी0–2014 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियां तथा सी0पी0एम0टी0–2014 का प्रवेश पत्र मूल रूप में साथ लाना आवश्यक है। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र जो दिनांक **31 मार्च 2014** के बाद का बना हो, तथा जिसमें क्रिमीलेयर में न होने का प्रमाण भी अंकित हो, मूल रूप में लाना सुनिश्चित करें। **मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

. **अखिल भारतीय कोटा–2014 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों** को उनके मूल प्रमाण पत्र कालेज में जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा सी0पी0एम0टी0 2014 की प्रथम काउंसिलिंग में सम्मिलित होने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/डीन द्वारा निर्गत किया गया हो, को काउंसिलिंग के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

अथवा

अखिल भारतीय कोटा–2014 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों को उनके मूल प्रमाण पत्र कालेज में जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से आवंटन संबंधी सुसंगत साक्ष्य/ (Admission letter or MCC Certificate- Medical Counseling Committee Certificate), को काउंसिलिंग के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । **उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने पर काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Photocopy of all the academic documents should be available.**

To avail the benefit of reservation (NCC/PH/EA/FF) certificate should be in original in prescribed proforma.

महानिदेशक